



नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

पो०- नेतरहाट, जिला – लातेहार

(An Autonomous Institute under Societies Reg. Act 1860, Ministry of School Education And literacy Dept. Govt. of Jharkhand)

संख्या –

दिनांक –

निविदा नियम(Tender Rule)

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के लगभग 500 विद्यार्थियों के लिए खाद्य सामग्रियों एवं अन्य उपयोग में लायी जाने वाली सामग्रियों एवं विविध सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदायें प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के नाम आमंत्रित की जाती है।

1. मुहरबंद निविदाएं हाथों हाथ अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 28.06.2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट कार्यालय में स्वीकार की जाएगी। निविदाएँ निम्न दो भागों में विभाजित होंगी—
 - a) Envelope I (Technical Bid)-टेक्नीकल बीड में लगने वाले कागजात/दस्तावेजों की स्व-अभिप्रेमाणित प्रति + निविदा शुल्क + सुरक्षा राशि (टेक्नीकल बीड में लगने वाले दस्तावेजों की सूची अगले पृष्ठ पर अंकित है)।
 - b) Envelope II (Financial Bid)-वस्तु/सामग्री की निविदित दर तालिका की वित्तीय बीड सार्थ के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ। (जिन-जिन सामग्रियों के लिए बीड डालने हो लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम एवं कोड अंकित करना अनिवार्य है)।
नोट :-उक्त दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर सीलबंद होने चाहिए।

2. सुरक्षा राशि एवं निविदा शुल्क :-

निविदा शुल्क— सार्थ के द्वारा निविदा शुल्क के रूप में प्रत्येक बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए रूपया 1000/- Online विद्यालय वेबसाईट www.netarhatvidyalaya.com पर जमा कर बिल ऑफ क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं। Online जमा की प्राप्ति रसीद को टेक्नीकल बीड के लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
सुरक्षा राशि —निविदाताओं को निविदा के साथ सुरक्षा राशि के रूप में बिल ऑफ क्वांटिटी में अंकित राशि का बैंक गारंटी/सावधि जमा/एन.एस.सी. इत्यादि प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम से जमा करना आवश्यक होगा। निविदा में असफल निविदाताओं की सुरक्षा राशि निविदा पञ्चात् वापस कर दिए जायेंगे। सफल निविदाताओं की सुरक्षा राशि 01 वर्ष तक के लिए रखे जायेंगे। निविदा नियमों का उलंघन करने पर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

3. निविदा प्रसारित करने की तिथि 05.06.2025 है, जो विद्यालय वेबसाईट www.netarhatvidyalaya.com पर उपलब्ध है। निविदा हाथों हाथ अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 28.06.2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक ली जाएगी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि के सम्मुख दिनांक 01.07.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे खोली जाएगी। टेक्नीकल बीड में सफल पाये गए आपूर्तिकर्ताओं का ही फिनांसियल बीड दिनांक-05.07.2025 को खोले जाएंगे।
4. यह निविदा जून 2026 तक वैध रहेगी।
5. अंतिम तिथि के पञ्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा को किसी भी समय रद्द करने का एकस्वाधिकार प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को होगा।
7. आवश्यकतानुसार निविदा की अवधि घटाई बढ़ाई जा सकती है।

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।



नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

निविदा शर्त

टेक्नीकल बिड में लगने वाले दस्तावेज निम्न होंगे :-

- a) सार्थ/कंपनी/आपूर्तिकर्ता का पूरा नाम एवं पता एक अलग **Letter head** में।
- b) व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र (एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार अथवा कम्पनी जो भी लागू हो)
- c) आयकर प्रमाण पत्र (निविदादाता प्रतिष्ठान अथवा प्रोपराईटर के पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति)
- d) GST निबंधन प्रमाण पत्र।
- e) सार्थ को Gem portal में विक्रेता के रूप में Registerd होना आवश्यक है।
- f) गत वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी आवश्यक है एवं अप्रैल 2025 के GST Return की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- g) वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति ताकि प्रतिष्ठान के लेखा पुस्तकों का विप्लेषण किया जा सके।
- h) 100/- के स्टॉप पेपर पर स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- i) सार्थ को सम्बंधित कोड का विगत दो वर्षों (2023-24, 2024-25) का सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र नहीं देने पर टेक्नीकल बीड विफल माना जायेगा।
- j) खाद्य सामग्रियों, फल एवं साग-सब्जियों के आपूर्ति के लिए Fssai द्वारा निर्गत Food Safety Licence की अद्यतन छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- k) निविदादाता को निविदा के साथ शपथ पत्र देना होगा कि उसका फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
- l) गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर पर स्वीकृत निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर करनी होगी।
- m) संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- n) वस्तुओं/सामग्रियों की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता को ध्यान में रखते हुए ISO प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- o) माप-तौल अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (जिसमें आवश्यक हो) संलग्न करना होगा।
- p) दर अनुबंध के समय संवेदक का विद्यालय में पूर्व वर्षों में सामग्री आपूर्ति के प्रति निष्ठा को भी ध्यान में रखा जायेगा ताकि छात्र प्रभावित न हो।
- q) विद्यालय में कार्यरत कोई भी कर्मी अथवा उनके निकट सम्बन्धी एवं पूर्ववर्ती छात्र निविदा में भाग नहीं ले सकते।

नोट :-

1. उपर्युक्त वांछित सभी दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. कोड संख्या-02, 08 एवं 14 के टेकनिकल बीड में पैन नं0 की छाया प्रति, आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2023-24 की छाया प्रति एवं स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शेष सभी कागजातों को संलग्न करना आवश्यक नहीं है।
3. शेष सभी कोड सामग्रियों के लिए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. उपर्युक्त वांछित सभी दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज के अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें तकनीकी रूप से विफल माना जायेगा।

नियम एवं शर्त :-

1. निविदा के लिफाफे पर सार्थ का नाम एवं पता, निविदा संख्या एवं दिनांक, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं जिन सामग्रियों हेतु निविदा दी गई हो कोड के साथ अंकित करना आवश्यक होगा।
2. सार्थ यदि आदेशित सामग्री क्रयादेश में निर्धारित तिथि, समय एवं राशि पर आपूर्ति नहीं करते हैं तो विद्यालय द्वारा एक अनुस्मार दिया जाएगा।
3. आपूर्ति फिर भी न करने पर विद्यालय द्वारा निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :-
 - a) आदेशित सामग्रियों का क्रय विद्यालय द्वारा खुले बाजार/L2 से कर लिया जायेगा। सार्थ द्वारा उठायी गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।
 - b) आदेशित राशि की अन्तर की राशि सार्थ के दूसरे विपत्र से काट ली जायेगी।
 - c) ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
 - d) संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विद्यालय की निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
 - e) अग्रधन/जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

- f) ठेका रद्द करने के उपरान्त निविदा में L2 सफल दूसरे सार्थ को ठेका देने पर विचार किया जायगा।
4. निविदा खुलने वाली तिथि में सार्थों को नमूनों के साथ आना होगा। सफल सार्थों को आदेशोपरांत आपूर्ति के वक्त, मिलान के समय नमूनों को लाना आवश्यक होगा। नमूनों को मिलान आपूर्ति की गई सामग्रियों से किया जाएगा मिलान के वक्त क्रय समिति की स्वीकृति के पश्चात ही सामग्रियों स्वीकार की जाएगी।
 5. बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखित ब्राण्ड/क्वालिटी के अनुसार ही सामग्रियों की दर एवं आपूर्तियाँ मान्य होंगी।
 6. आपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा सार्थ को नियत समयावधि दी जायेगी जिसे सार्थ को स्वीकार करना होगा। अस्वीकार की स्थिति में सार्थ का ठेका रद्द किया जा सकता है।
 7. सभी सामग्रियों की आपूर्ति का दर एफ.ओ.आर. नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा।
 8. निविदा में उल्लेखित सामान की मात्रा एवं अवधि घटायी बढ़ायी जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सबसे कम दर वाली निविदा ही स्वीकार की जाय। यदि कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो इसका कारण देना आवश्यक नहीं होगा। चयनित सामग्री में अंकित मूल्य पर वार्ता (निगोसियेशन) किया जा सकता है।
 9. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत नमूने/ब्राण्ड के अनुसार ही ली जाएगी। ब्राण्ड स्पष्ट न करने पर नमूना के बिना रेट पर विचार नहीं होगा।
 10. प्रत्येक वस्तु कोड हेतु सार्थों के चयन में पूर्ण एकस्वाधिकार नेतरहाट विद्यालय का होगा।
 11. तकनीकी बीड में सफल संस्थान/प्रतिष्ठान के ही वित्तीय बीड पर विचार किए जायेंगे।
 12. निविदा में सार्थ का चयन L1 पर किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। वस्तुओं की गुणवत्ता एवं विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं/सामग्रियों हेतु सार्थ का चयन किया जायेगा। निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रस्ताव/वाद स्वीकार्य नहीं होगा।
 13. चयनित सार्थ से आवश्यकता अनुरूप ही सामानों का क्रय किया जायेगा। इसके विरुद्ध सार्थ द्वारा किसी भी प्रकार का वाद स्वीकार नहीं होगा।
 14. प्रत्येक निविदा में प्रत्येक सामग्रियों का दर अंक एवं शब्दों में देना आवश्यक है।
 15. दाम के साथ संबंधित कम्पनी/मेक का भी उल्लेख रहना आवश्यक है।
 16. विलम्ब से प्राप्त निविदा या अग्रधन के बिना निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 17. निविदा जमा करने के उपरान्त आंशिक या पूर्णरूप से निविदा वापस लेने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
 18. TDS की कटौती Income Tax Act 1961 के नियमानुसार की जायेगी।
 19. JGST Act, 2017 के अधीन TDS लागू होने पर नियमानुसार TDS के कटौती की जायेगी।
 20. दिये गए आदेश से अधिक मात्रा की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
 21. निविदा रद्द होने पर निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं की जायेगी अर्थात् निविदा शुल्क गैर वापसी प्रकृति की होगी।
 22. प्राचार्य का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
 23. ठेका को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को होगा, तथा इस निर्णय के विरुद्ध सार्थ का किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अथवा वाद स्वीकार्य नहीं होगा।
 24. वित्तीय बीड में काँट-छाँट अथवा **Overwriting** रहने पर संबंधित संवेदक के निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता है एवं उसे रद्द समझते हुए अगले सार्थ पर विचार किया जायेगा। **(Most Important)**
 25. फल की आपूर्ति की मात्रा निम्न प्रकार होगी:— सेब, संतरा, बेदाना मौसमी 01 किलो में 5 से 6 के बीच होना चाहिए। बेदाना एवं आम 01 किलो में 4 से 5 के बीच होना चाहिए। अंगूर एवं तरबुज प्रति छात्र 200 ग्राम एवं लीची प्रति व्यक्ति 5—5 प्रति की आपूर्ति ली जायेगी।
 26. सब्जी एवं फल में 4—4 वितरेक की माफी दी जा सकती है इससे अधिक वितरेक पर प्राचार्य द्वारा दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जा सकती है या माफी की स्वीकृति अनिवार्य होगा।
 27. टेक्नीकल बीड में लगने वाले दस्तावेजों को क्रमवार सूचीबद्ध एवं क्रम संख्या अंकित कर ही निविदा जमा करेंगे। अगर दस्तावेज को क्रमवार अंकित कर सूचीबद्ध नहीं किया जाता है तो निविदा रद्द करने का एकाधिकार विद्यालय प्रशासन का होगा।
 28. सभी ब्राण्ड का मूल्य अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी बीड रद्द समझी जायेगी।

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।